न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ (जिला–जोधपुर)राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री जवाहर राम चौधरी, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 30 / 2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 कोजाराम पुत्र सोनाराम 2 सुगनाराम पुत्र सोनाराम 3 जीवनराम पुत्र सोनाराम निवासी बासनी चोलावतां तहसील भोपालगढ़ 4 चनणी पत्नी सोनाराम के वारिस 4/1 झमनाई पुत्री सोनाराम पत्नी जीवनराम जाति माली हाल निवास अरटियां खुर्द तहसील भोपालगढ़ 5 भगाराम पुत्र जोगाराम 6 गेनाराम पुत्र जोगाराम 7 सुगनाई पत्नी देराम 8 गुदड़राम पुत्र मानाराम जातियान माली निवासी बासनी चोलावतां तहसील भोपालगढ़ 9 पुरखाराम उर्फ संत पुरूषोतमदास पुत्र मानाराम हाल पीठाचार्य रामधाम खेड़ापा तहसील बावड़ी 10 रामदयाल उर्फ संत रामप्रसाद पुत्र हजारीराम हाल रामद्वारा सूरसागर, जोधपुर 11 रामनिवास पुत्र हजारीराम 12 रामेश्वर पुत्र हजारीराम 13 मांगीलाल पुत्र भोमाराम के विधिक वारिसान 13/1 चेनी पत्नी मांगीलाल 13/2 भंवरूराम पुत्र मांगीलाल 13/3 दीपाराम पुत्र मांगीलाल 13/4 आसूराम पुत्र मांगीलाल 13/5 राजूराम पुत्र मांगीलाल 13/6 पपू पुत्री मांगीलाल 14 रेवतराम पुत्र भोमाराम 15 बीरमराम पुत्र भोमाराम जातियान माली निवासी बासनी चोलावतां तहसील भोपालगढ़		1 तहसीलदार भोपालगढ़

राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, रेकर्ड दुरूस्तीकरण हेतु

उपस्थितः–

1. श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. सरकारी पैरोकार।

–:: निर्णय ::– दिनांकः– 12.02.2021

वकील वादीगण ने एक वाद मय शपथ पत्र अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जिसके सं[illegible] निम्न प्रकार से है–

यह है कि ग्राम [illegible] चोलावतां प[illegible] मण्डल भोपालगढ़ एम.बी. में खसरा नं. 29 नक्शा व मौका अनुस[illegible] कब्जा अनुसार रकबा [illegible] 01

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:04:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

बिस्वा भूमि आई हुई है, उक्त भूमि वक्त सेटलमेन्ट सावल माना भोमा वल्द बुद्धा कौम माली के नाम की खातेदारी कब्जे काश्त की थी, धीरे धीरे परिवार में बढ़ोतरी होने के कारण वर्तमान में वादीगण संख्या 01 से 07 की 1/3 हिस्से की तथा वादीगण संख्या 08 से 13 की 1/3 हिस्से की एवं वादीगण संख्या 14 से 16 की 1/3 हिस्से की सहखातेदारी सामलाती कब्जेकाश्त की आई हुई है, उक्त भूमि एक चक में है, चारों तरफ रोपणीये रोप कर पुरानी तारबंदी की हुई है तथा उक्त भूमि में वादीगण की रहवासीय ढाणीयां भी बनी हुई है। खसरा नं. 29 वक्त सेटलमेन्ट भी एक चक में थी तथा वादीगण के पूर्वजों का कुल रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा भूमि पर खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त था तथा आज भी एक चक में खातेदार की हैसियत से वादीगण का कब्जा काश्त है। वक्त सेटलमेन्ट भूप्रबंध अधिकारियों की भूल से खसरा नं. 29 का कुल रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा का नक्शा किश्तवार में नक्शा तो सही बनाकर नक्शे में तरमीम कर दिया गया तथा आज भी नक्शे में कब्जे काश्त अनुसार तरमीम सही है लेकिन खतौनी बंदोबस्त तैयार करते समय खतौनी में मानवीय भूल से सही रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा के स्थान पर गलत रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा इन्द्राज हो गया। अतः वादीगण का यह वाद वास्ते खसरा नं. 29 का कुल सही रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा का खातेदार घोषित कर तमाम राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम सहखातेदार के रूप में 29 बीघा 01 बिस्वा इन्द्राज कर रेकर्ड दुरूस्त करने हेतु यह वाद पेश किया जा रहा है। वादी संख्या 05 ने अपना हिस्सा वादी संख्या 06 को हकतर्क कर दिया है, इसलिए वादी संख्या 05 का हिस्सा वादी संख्या 06 के बंट व हिस्से में रखा जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया तथा प्रतिवादी तहसीलदार भोपालगढ़ ने जबावदावा में बताया कि ग्राम बासनी चोलावतां के खसरा नं. 29 का रकबा खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 में 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज है तथा वर्तमान चालू जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 में भी खसरा नं. 29 का रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा है जबकि नक्श ट्रेस अनुसार खसरा नं. 29 की आकृति उक्त वर्णित रकबा से कही गुणा बड़ी बनी हुई है। भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ़ एवं पटवारी हल्का भोपालगढ एम.बी की रिपोर्ट दिनांक 24.09.2015 अनुसार नक्शे की आकृति एवं कब्जे काश्त के अनुसार खसरा नं. 29 का रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा है। उक्त भूमि के दक्षिण दिशा में पत्थरों की दीवार एवं शेष तीनों दिशा में तारबंदी की गयी है, झोपड़िया बनी हुई है। तथा दो कच्ची झोपड़िया बनी हुई है उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगणों का है। भू अभिलेख निरीक्षक भोपालगढ़ एवं पटवारी हल्का भोपालगढ एम.बी [illegible] अनुसार खसरा नं. 29 का नक्शे में आकृति अनुसार रकबा 29–01 बीघा है त[illegible] खतौ[illegible]दोबस्त में रकबा 01–14 बीघा दर्ज है। फसल खराबा होने [illegible] अनुदा[illegible]बंदी अनुसार धारित रकबा के आधार पर दी गई है। नक्शा में आकृति बड़ी होने के आधार पर आदान अनुदान देने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:04:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

प्रावधान नही होने से वादीगण को 29–01 बीघा भूमि का आदान अनुदान नही दिया गया। खतौनी बंदोबस्त में खसरा नं. 29 का रकबा 01–14 बीघा दर्ज है परन्तु नक्शा ट्रेस में इसकी आकृति अनुसार रकबा कहीं गुणा ज्यादा है। गिरदावरी में अंकित खसरा नं. के रकबे से ज्यादा रकबे की गिरदावरी कब्जा काश्त अनुसार दर्ज नही की जा सकती तथा इस आधार पर जमाबंदी में रकबे का इन्द्राज परिवर्तित नही किया जा सकता है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथपत्र सुगनाराम पुत्र सोनाराम, रामनिवास पुत्र हजारीराम, बीरमराम पुत्र भोमाराम, गेनाराम पुत्र जोगाराम, किसनाराम पुत्र जवाहरराम के साक्ष्य शपथपत्र भी पेश किये जिसमें भी उन्होंने स्वीकार किया कि खेत खसरा नं. 29 का कुल रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा वक्त सेटलमेन्ट से आया हुआ है। लेकिन खतौनी में उक्त रकबा 29 बीघा 01 बिस्वा के स्थान पर 01 बीघा 14 बिस्वा भूलवश दर्ज कर दिया गया जिसे सुधार किया जाना आवश्यक है।

हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी और उस पर मनन कियां हमने पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा साक्ष्य वादीगण का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया।

विचाराधीन वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

(1) आया वादीगण वादग्रस्त ख.नं. 29 का कुल रकबा मुताबिक नक्शा 29 बीघा 01 बिस्वा कराने का अधिकारी है ? जिम्मे–वादीगण

(2) आया वादी विरूद्ध प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

जिम्मे–वादीगण

(3) आया मुताबिक राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2030 एवं वर्तमान जमाबंदी में भी वादग्रस्त ख.नं. 29 का रकबा 01–14 बीघा दर्ज है ? जिम्मे– प्रतिवादी

उपर्युक्त तनकीयातों पर हमारा निष्कर्ष निम्नानुसार है–

तनकीयात संख्या 1:– यह कि वादग्रस्त ख.नं. 29 का कुल रकबा मुताबिक नक्शा 29 बीघा 01 बिस्वा कराने के वादीगण अधिकारी है। इस बाबत् पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा साक्ष्य वादीगण का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली पर मौजूद प्रदर्श 1 खतौनी बंदोबस्त संवत् 2011 से 2031 में खाता संख्या 22 के अनुसार ख.नं. 29 का रकबा 01–14 बीघा दर्ज है। वादीगण का कथन है कि ख.नं. 29 का रकबा नक्शे में तरमीम के अनुसार 29–01 बिस्वा होता है। वादीगण ने अपने कथन के साक्ष्य के रूप में साक्ष्य PW1 से PW5 पेश किये। इन सभी ने [illegible] एक चक में थी तथा वादीगण के पूर्वजों का कुल रकबा 29–01 बीघा [illegible] काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त होना तथा आज भी एक चक में खातेदार [illegible] हैसियत से वादीगण का कब्जा काश्त है। लेकिन वादीगण की ओर से ख.नं. 29 का रकबा नक्शे अनुसार 29–01 बीघा होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:04:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

SHOT ON MI A2
MI DUAL CAMERA

Scanned with CamScanner

के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के यह कैसे स्वीकार किया जाए कि उक्त खसरे का नक्शा तरमीम के अनुसार रकबा 29–01 बीघा ही होता है। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ की ओर से पेश जवाबदावे में भी बिन्दु सं. 04 में खसरा नं. 29 का नक्शे में आकृति अनुसार रकबा 29–01 बीघा होने का कथन मात्र किया गया है। वादीगण की ओर से जो साक्ष्य गवाह पेश किये गये है उनकी उम्र वक्त सेटलमेन्ट PW1 का जन्म ही नहीं हुआ, PW2 की उम्र लगभग 01–02 वर्ष, PW5 की लगभग 05–06 वर्ष थी। ऐसी परिस्थितियों में इन गवाहों के कथनों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। वादीगण द्वारा वादपत्र में किए गए कथन तथा चाही गयी इस्तदुआ के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए है। उपर्युक्त कारणों से तनकीयात संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

तनकीयात संख्या 2:– तनकीयात संख्या 01 वादीगण के विरूद्ध निर्णीत होने के कारण वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नही होने से तनकीयात संख्या 02 भी वादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

तनकीयात संख्या 3:– प्रदर्श 1 व प्रदर्श 2 के अनुसार ख.नं. 29 का रकबा 01–14 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से तनकीयात संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

इस प्रकार वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में केवल मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। मौखिक साक्ष्य भी वक्त सेटलमेन्ट बाल्यावस्था में थे। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किए है। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में वादीगण का वाद वादी के पक्ष में डिक्री नहीं किया जा सकता।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण वास्ते खातेदारी घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, रेकर्ड दुरूस्तीकरण का खारिज/अस्वीकार (वादीगण के विरूद्ध निर्णीत) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.03.16 18:04:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner